संविधान और राजभाषा नीति

राजभाषा : प्रशासन का कामकाम चलाने और क्षेत्र की जनता से सरकार का सीधा संप्रेषण बनाये रखने के लिये जिस भाषा को प्रयोग में लाया जाता हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। राजकाज की भाषा अर्थात् शासन और जनता के बीच संवाद की भाषा सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचने का यह एक सशक्त माध्यम है। राजभाषा से तात्पर्य आम बोल चाल की भाषा है तथा सरल, सुबोध और सुग्राह्य शब्दों को प्रयोग राजभाषा की विशेषता है।

प्रस्तावना : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो यहाँ के निवासियों में भावनात्मक एकता स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकें तथा अन्तरराज्य और केन्द्र सरकार के काम–काज के लिये अंग्रेजी का स्थान ले सकें। इस दृष्टि से हिन्दी भाषा को सर्वाधिक उपयुक्त समझकर भारतीय संविधान में इसे राजभाषा के पद पर सुशोभित किया गया। यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हिन्दी के अलावा अन्य कोई भी भारतीय भाषा इसका स्थान नहीं ले सकती थी।

14 सितम्बर 1949 : को संविधान सभा द्वारा हिन्दी को संघ की राजभाषा स्वीकार करने के फलस्वरूप सम्पूर्ण भारत वर्ष में 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा संविधान सभा में हिन्दी को राजभाषा बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव रखा गया। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने प्रबल बहुमत से हिन्दी को केन्द्र सरकार की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। यही प्रस्ताव हमारे संविधान के भाग संग्रह में राजभाषा शीर्षक के अन्तर्गत विद्यमान है।

भारत वर्ष के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार की राजभाषा हिन्दी है। भारतवर्ष के सन्दर्भ में अधिकांश राज्यों में बोली व समझी जाने वाली भाषा को राजभाषा की संज्ञा दी गई है और यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों की विधान सभायें अपने राज्य की एक या अधिक क्षेत्रीय भाषाओं को अथवा हिन्दी को अपनी राजभाषा बना सकती है।

संविधान की अष्टम अनुसूची में इनका उल्लेख है और अभी तक इनकी संख्या 22 है। अष्टम अनुसूची के अनुसार 334/1 और 351 [Schedule VIII Art. 344 (I) 351] के अन्तर्गत सम्मिलित भाषाओं के नामः–

1. असमिया	2. उड़िया	3. उर्दू	4. कन्नड़	5. कश्मीरी	6. गुजराती	7.तमिल
8. तेलगू	9. पंजाबी	10.बंगाली	11.मराठी	12.मलयालम	13.संस्कृत	14.सिंधी
15.हिन्दी	16.कोंकणी	17.नेपाली	18.मणिपुरी	19.डोगरी	20.मैथिली	21.संथाली
22.बोडो						

(19 से 22 तक भाषायें दिसम्बर 2003 में शामिल की गई)

संघ की राजभाषा नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी

Official Language of the Union – Short Notes

राजभाषा के प्रयोग प्रसार के सम्बन्ध में भारत के संविधान में अलग–अलग उपबन्ध हैंः–

अनुच्छेद (Artical) 343/1 : में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि (Script) देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तरराष्ट्रीय रूप होगा।

अनुच्छेद 343/2 : में यह व्यवस्था है कि संविधान लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि अर्थात् 1965 तक उन शासकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिये संविधान लागू होने से पहले किया जाता रहा था। परन्तु राष्ट्रपति इस अवधि में अर्थात् 1965 से पहले भी आदेश निकाल कर किसी काम के लिये अंग्रेजी के अलावा हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगें।

राष्ट्रपति के आदेश 1952, 1955 एवं 1960 में जारी किये गये।

अनुच्छेद 343/3 : में संसद को अधिकार दिया गया कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी 1965 के बाद भी सरकारी काम काज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के बारे में व्यवस्था कर सकें, तदनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया।

अनुच्छेद 345 : में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधान मण्डल राज्य में होने वाली भाषाओं में से किसी एक को या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को अपनी सभी या किन्ही शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप अंगीकार कर सकेगा।

अनुच्छेद 348 : में यह व्यवस्था है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करें तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में की गई कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी किन्तु इस अनुच्छेद के खण्ड 2 में यह व्यवस्था है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने राज्य में स्थित उच्च न्यायालय में हिन्दी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

अनुच्छेद 351 : के अनुसार संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाये, उसका विकास करें, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय इसके लिये प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें विभिन्न हिन्दी प्रयोग के लक्ष्य निर्धारित किये जाते है।

अनुच्छेद 120/1 : के अनुसार संसद में कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में किया जायेगा परन्तु यथास्थिति राज्य सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकेगा।

राजभाषा अधिनियम – 1963 (The Official Language Act 1963)
संशोधित – 1967 (As Amended – 1967)

राजभाषा आयोग (Commission) और संसदीय समिति (Committee of Parliament) की सिफारिशों पर अमल करने की दृष्टि से 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया जिसमें 1967 में संशोधन किया गया। वस्तुतः देखा जायें तो केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यों में यह अधिनियम द्विभाषिकता की स्थिति का सूत्रपात करता है संशोधित राजभाषा अधिनियम के मुख्य उपबन्ध इस प्रकार हैंः–

राजभाषा अधिनियम की धारा–3 के अनुसार उन सभी प्रयोजनों के लिये जिनके लिये 26 जनवरी 1965 से पूर्व अंग्रेजी इस्तेमाल की जा रही थी। 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा। केन्द्र सरकार और हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा, बशर्ते उस राज्य ने इसके लिये हिन्दी का प्रयोग करना स्वीकार न किया हो। इसी प्रकार हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारें ऐसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करेगी और यदि वे ऐसे राज्यों को कोई पत्र हिन्दी में भेजती हैं तो साथ–साथ अंग्रेजी अनुवाद भी भेजेंगी। पारस्परिक समझौते से यदि कोई भी दो राज्य आपसी पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र व्यवहार के लिये हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब तक सम्बन्धित कार्यालयों आदि के कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाथक ज्ञान प्राप्त न कर लें तब तक पत्रादि का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

राजभाषा अधिनियम की धारा (Section 3/3) के अनुसार निम्नलिखित के लिये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का ही प्रयोग अनिवार्य हैं :–

संकल्प (Resolutions), सामान्य आदेश (General Orders), अधिसूचनायें (Notification), प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Communiques), संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी गई अन्य रिपोर्ट और अन्य सरकारी कागज पत्र, करार (Agreement), अनुज्ञप्ति (Licence) तथा अनुज्ञा पत्र (Permit) , निविदा सूचना (Tender forms) और इनके प्रारूप तथा आरक्षण चार्ट

अधिनियम की धारा 3/4 के अनुसार इस अधिनियम के बनाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि हिन्दी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा में प्रवीण कर्मचारी प्रभावी रूप अपना काम कर सके और केवल इस आधार पर कि वे दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं, उसका कोई अहित नहीं होना चाहिये।

संशोधित अधिनियम 1967 द्वारा धारा 3/5 के रूप में यह उपबन्ध किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न कार्यों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने सम्बन्धी व्यवस्था जारी रहेगी तथा जब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मण्डल अंग्रेजी का प्रयोग खत्म करने के लिये आवश्यक संकल्प पारित न करें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इस आशय का संकल्प पारित न कर दें।

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिये अथवा पारित किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिये अंग्रेजी भाषा के अलावा हिन्दी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। तथापि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी से किसी भिन्न भाषा में दिया या पारित किया जाता हैं तो उसके साथ–साथ सम्बन्धित उच्च न्यायालय के प्राधिकारी से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी किया जायेगा। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार के राज्यपालों ने अपने–अपने उच्च न्यायालयों में उपर्युक्त उद्देश्य के लिये हिन्दी प्रयोग की अनुमति दे दी है।

नियमों के पालन का उत्तरदायित्व (Responsibility for Compliance) :

इन नियमों की एक बड़ी विशेषता यह है कि इनमें पहली बार इनके उपबन्धों का सही अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान पर डाली गई है। उनका यह कर्त्तव्य है कि आवश्यक जाँच पड़ताल करें और इन नियमों के अनुपालन के लिये समय–समय पर यथा आवश्यक आदेश जारी करें।

राजभाषा नियम – 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये)

यथा संशोधित नियम 1987 व 2007

नोटः– मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र में सा.का.नि. 1052 के तारीख 17 जुलाई, 1976 द्वारा प्रकाशित किये गये और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना राजभाषा विभाग, नई दिल्ली 03.07.2007

(इनका विस्तार तमिलनाडू राज्य के अलावा सम्पूर्ण भारत में हैं)

The Official Language (Use for official purpose of the union) Rule, 1976 (As Amended, 1987)

संघ की राजभाषा से सम्बन्धित विभिन्न सांविधिक और कानूनी उपबन्धों को कार्यरूप देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 1976 में राजभाषा नियम बनाये थे। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अधीन बनाये गये ये नियम सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिये व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्तों की भूमिका का निर्वाह करते हैं।

नियम 3/1 : केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि हिन्दी भाषी राज्यों के लिये जिन्हें ''क'' क्षेत्र के राज्य कहा गया है या ऐसे राज्यों में किसी अन्य कार्यालयों या अन्य व्यक्ति को हिन्दी में भेजे जायेगें। यदि किसी खास मामलें में कोई पत्र इन्हें अंग्रेजी भाषा में भेजा जाता हे तो उसका अनुवाद भी साथ में भेजा जायेगा।

नियम 3/2 : (क) केन्द्रीय कार्यालयों से पत्रादि पंजाब, गुंजरात और महाराष्ट्र व चण्डीगढ़ क्षेत्रों के प्रशासनों को जिन्हें ''ख'' क्षेत्र में शामिल किया गया है, सामान्यतः हिन्दी में भेजे जायेगें। यदि उन्हें कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जायेगा, (ख) लेकिन इन राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में भेजे जा सकते हैं।

नियम 3/3 : अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों जिन्हें ''ग'' क्षेत्र कहा गया है, के कार्यालयों या व्यक्तियों को पत्र अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

नियम 3/4 : इन ''ग'' राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों से ''क'' अथवा ''ख'' क्षेत्र की सरकारों उनके कार्यालयों आदि को पत्रादि हिन्दी अथवा अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

नियम 4 :

(क) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र व्यवस्थार हिन्दी या अंग्रेंजी में हो सकता है।

(ग) ''क'' क्षेत्र में स्थित अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवस्थार हिन्दी में होगा।

नियम 5 : हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में ही दिये जायेगें।

नियम 6 : राजभाषा अधिनियम की धारा 3/3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषायें प्रयोग में लाई जायेगी और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले की होगी।

नियम 7 :

1. कोई कर्मचारी आवेदन (Application), अपील, अभ्यावेदन (Representation) हिन्दी /अंग्रेजी में कर सकता है।

2. हिन्दी में हस्ताक्षर किये गये आवेदन या अभ्यावेदन का उत्तर हिन्दी में दिया जायेगा।

3. यदि कोई कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमों से सम्बन्धित कोई आदेश या सूचना यथा स्थिति हिन्दी /अंग्रेजी में चाहता है तो उसे उसी भाषा में दी जायेगी।

नियम 8 :

1. केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाईलों में हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणी प्रारूप लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

2. विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रतृति का है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय विभाग या कार्यालय का प्रधान करेगा।

3. अधिसूचित कार्यालयों में से कुछ को पूरी तरह या उनके कार्य की कुछ मदों को विनिर्दिष्ट /स्पेसीफाईड /किया जा सकता है ताकि उनमें काम करने वाले हिन्दी में प्रवीण कर्मचारियों को नोटिंग /ड्राफ्टिंग आदि में केवल हिन्दी का इस्तेमाल करने के लिये कहा जा सके।

नियम 10 : जिन कार्यालयों में 80 या उससे अधिक लोगों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है उन्हें अधिसूचित किया जा सकता है।

नियम 11 : (1) केन्दीय सरकार के कार्यालयों में सम्बन्धित सभी नियमावली संहितायें और अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक (डिगलट) रूप से तैयार किये जायेगें।

(2) व (3) : सभी फार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष नामपट्ट, सूचनापट्ट, स्टेशनरी आदि की मदें यथा रबर की मोहरें, धातु सीले, पत्र शीर्ष, लेटर हैड, विजिटिंग कार्ड हिन्दी और अंग्रेजी (द्विभाषी) में होगें।

नियम 12 : प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिशिचित करें कि राजभाषा अधिनियम और नियमों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है तथा इनके अनुपालन के लिये प्रभावी जाँच बिन्दु बनायें।

1. राजभाषा नियमों के अनुपालन की दृष्टि से राज्यों का विभाजन :–

''क'' क्षेत्र	''ख'' क्षेत्र	''ग'' क्षेत्र
(Region "A") पूर्णतः हिन्दी भाषी क्षेत्र	(Region "B") ऐसे राज्य जिन्होंने हिन्दी को विधिवत रूप से अपना लिया	ऐसे राज्य जिन्होंने अभी तक कानूनी रूप से हिन्दी को नहीं अपनाया
बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह /संघ शासित क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र, पँजाब तथा चण्डीगढ़, दमन व दीव, दादर नगर हवेली /संघ शासिल क्षेत्र (गृह मंत्रालय, भारत सरकार का प.सं. 1/14034/02/2010–रा. भा. (नीति –1 दिनांक 04.05.11)	क्षेत्र ''क'' व ''ख'' में उल्लिखित राज्यों को छोड़कर सभी राज्य व संघ शासित क्षेत्र।

परिभाषायें (Definitions) :

नियम 09 : हिन्दी में प्रवीणता (Proficiency in Hindi) :

यदि किसी कर्मचारी ने –

''क'' – मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की हैं, अथवा

''ख'' – स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर अन्य किसी परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, अथवा

''ग'' – यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

नियम 10/1 : हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त (Working Knowledge in Hindi)
''क'' – मैट्रिक या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हे या केन्द्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अथवा
''ख'' – यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो यह समझा जायेगा कि उसने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

जाँच बिन्दु (Check Points) :

1. रेलवे मुद्रणालय
2. रोनिया (साइक्लेस्टाइल)
3. टाईप व कम्प्यूटर अनुभाग
4. पत्र प्रेषण (डिस्पेच) अनुभाग
5. टाईप राईटरों (कम्प्यूटरों) इलेक्ट्रोनिक उपकरणों की खरीद
6. सेवा पुस्तिकाओं /रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ
7. हिन्दी में प्राप्त पत्रों आदि का उत्तर हिन्दी में देना
8. आरक्षण कार्यालय

सरकारी काम काज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग–प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा लागू विभिन्न प्रोत्साहन /पुरस्कार योजनायें :–

(1) व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजनायें

क्रस	व्यक्तिगत नकद योजनाओं का विवरण
i.	रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना : सरकारी कामकाज में हिन्दी का सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य करने वाले प्रत्येक मण्डल /कारखाना से एक अधिकारी एक कर्मचारी को प्रतिवर्ष रूपये 1500 एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाता हैं। इसके लिये हिन्दी भाषी न्यूनतम 75% व अहिन्दी भाषी न्यूनतम 50% कार्य हिन्दी में होना चहिये। (प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2007/प्र–7/6 दिनांक 26.06.2008)
ii.	महाप्रबन्धक की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना सरकारी कामकाज में हिन्दी का सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य करने वाले प्रत्येक मण्डल /कारखाना से प्रति वर्ष एक अधिकारी और एक कर्मचारी को रूपये 1000 एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाता है।
iii.	मण्डल रेल प्रबन्धक की व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना सरकारी कामकाज में हिन्दी का सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य करने वाले चयनित कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाता है।

(2) हिन्दी प्रतियोगितायें

i.	क्षैत्रिय स्तर पर हिन्दी निबंध, वाक तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगितायें			
		हिन्दी निबंध	हिन्दी वाक	हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन
	प्रथम पुरस्कार	रूपये 2000	रूपये 2000	रूपये 2000
	द्वितीय पुरस्कार	रूपये 1600	रूपये 1600	रूपये 1600
	तृतीय पुरस्कार	रूपये 1200	रूपये 1200	रूपये 1200
	सांत्वाना पुरस्कार (तीन)	रूपये 800 (प्रत्येक)	रूपये 800 (प्रत्येक)	रूपये 800 (प्रत्येक)

(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2010/प्र–7/6 दिनांक 26.06.2008)

ii.	रेलवे बोर्ड स्तर पर अखिल हिन्दी निबंध, वाक तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता			
	प्रथम पुरस्कार	रूपये 3000	रूपये 3000	रूपये 3000
	द्वितीय पुरस्कार	रूपये 2500	रूपये 2500	रूपये 2500
	तृतीय पुरस्कार	रूपये 2000	रूपये 2000	रूपये 2000
	सांत्वाना पुरस्कार(तीन)	रूपये 1500(प्रत्येक)	रूपये 1500(प्रत्येक)	रूपये 1500(प्रत्येक)

(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2010/प्र–7/6 दिनांक 26.06.2008)

iii.	रेल मंत्री हिन्दी निबंध प्रतियोगिता : रेल प्रबन्धक अथवा संचालन के किसी विषय पर हिन्दी निबन्ध लेखन		
		राजपत्रित	अराजपत्रित
	प्रथम पुरस्कार	रूपये 6,000	रूपये 4,000
	द्वितीय पुरस्कार	रूपये 6,000	रूपये 4,000

(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2007/प्र–7/6 दिनांक 26.06.2008)

(3) मौलिक हिन्दी पुस्तक लेखन पुरस्कार योजनायें :

i. लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना
तकनीकी रेल विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने पर लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पुरस्कार दिये जाते हैं :–
प्रथम पुरस्कार रू 15000/–
द्वितीय पुरस्कार रू 7000/–
तृतीय पुरस्कार रू 3300/–

(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2009/प्र–7/12 दिनांक 28.10.2009)

ii. इन्दिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार योजना :
इस योजना के अन्तर्गत सरकारी कार्य से सम्बन्धित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने पर इन्दिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार दिये जाते हैं :–
प्रथम पुरस्कार रूपये 60000/–
द्वितीय पुरस्कार रूपये 45000/–
तृतीय पुरस्कार रूपये 30000/–
प्रोत्साहन पुरस्कार रूपये 15000/–

[(प्राधिकारी–भारत सरकार गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग .07.05.14 का कार्यालय ज्ञापन 14011/01/2014–रा.भा.(नीति)]

iii. प्रेमचन्द पुरस्कार (कथा/कहानी/उपन्यास संग्रह)
प्रथम पुरस्कार रूपये 15000/–
द्वितीय पुरस्कार रूपये 7000/–
तृतीय पुरस्कार रूपये 3300/–

(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2007/प्र–7/6 दिनांक 26.06.08)

iv. मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार (काव्य/गजल संग्रह)
प्रथम पुरस्कार रूपये 15000/–
द्वितीय पुरस्कार रूपये 7000/–
तृतीय पुरस्कार रूपये 3300/–

(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2007/प्र–7/6 दिनांक 26.06.08)

v. रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना :
रेल यात्राओं सम्बन्धी अनुभव के आधार पर रेलों द्वारा अपनी छवि को और उजागर करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने अखिल भारतीय स्तर पर रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना लागू की हैं। इसमें कोई भी नागरिक भाग ले सकता है।
प्रथम पुरस्कार रूपये 4000/–, द्वितीय पुरस्कार रूपये 3000/–, तृतीय पुरस्कार रूपये 2000/–

vi. राजीव गाँधी राष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान तकनीकी मौलिक लेखन प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार	रूपये 2,00,000	प्रमाण–पत्र व स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार	रूपये 1,25,000	प्रमाण–पत्र व स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	रूपये 75,000	प्रमाण–पत्र व स्मृति चिह्न
सांत्वना पुरस्कार (दस)	रूपये 10,000	प्रमाण–पत्र व स्मृति चिह्न

(4) हिन्दी प्रोत्साहन योजनायें :

i. हिन्दी में मूल टिप्पण व आलेखन पुरस्कार योजना :
इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान टिप्पण आलेखन में हिन्दी भाषी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कम से कम 20,000 शब्द तथा अहिन्दी भाषी द्वारा कम से कम 10,000 शब्द हिन्दी में लिखने के लिये एक यूनिट में 10 पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान हैं। इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार निम्न हैं:–

	रेलवे बोर्ड /प्रधान कार्यालय	मण्डल स्तर पर
प्रथम पुरस्कार (दो)	रूपये 2000	रूपये 1600
द्वितीय पुरस्कार (तीन)	रूपये 1200	रूपये 800
तृतीय पुरस्कार (पाँच)	रूपये 600	रूपये 600

ii. अधिकाधिक डिक्टेशन देने पर अधिकारियों के लिये हिन्दी डिक्टेशन पुरस्कार :
इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी भाषी अधिकारी के लिये 20,000 शब्द व अहिन्दी भाषी अधिकारी के लिये 10,000 शब्द डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों के लिये क्रमशः रूपये 2000/– प्रति अधिकारी अनुसार दो पुरस्कार दिये जाते है। (प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2013/प्र–7/4 दिनांक 20.02.2013)

iii. रेलों पर सामूहिक रूप से हिन्दी के सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों के लिये सामूहिक पुरस्कार योजना :

प्रथम पुरस्कार	रूपये 9000	मुख्यालय के लिये	कुल छः कर्मचारी, प्रति कर्मचारी रूपये 1500
द्वितीय पुरस्कार	रूपये 6000	मण्डलों के लिये	कुल पाँच कर्मचारी, प्रति कर्मचारी रूपये 1200
तृतीय पुरस्कार	रूपये 4000	कारखानों के लिये	कुल पाँच कर्मचारी, प्रति कर्मचारी रूपये 800

iv. अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में आशुलिपि एवं टाईपिंग कार्य करने के लिये प्रोत्साहन भत्ताः
आशुलिपिक रूपये 240 प्रतिमाह
टंकक रूपये 160 प्रतिमाह
(प्राधिकारी – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या हिन्दी–2012/प्र–10/5 दिनांक 20.06.2014)

v. हिन्दी टाईपिंग एवं आशुलिपिक की परीक्षायें पास करने पर पुरस्कार :
इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी भाषा, टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि की परीक्षायें पास करने पर प्राप्त अंकों के आधार पर एक मुश्त पुरस्कार के अतिरिक्त वेतन वृद्धियों के बराबर एक वर्ष के लिये वैयक्तिक वेतन देय है।

vi.

हिन्दी परीक्षायें पास करने पर नकद पुरस्कार :			
प्राप्तांक प्रतिशत	55%	60%	70%
प्रबोध	रूपये 400	रूपये 800	रूपये 1600
प्रवीण	रूपये 600	रूपये 1200	रूपये 1800
प्राज्ञ	रूपये 800	रूपये 1600	रूपये 2400

निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की निम्निलिखित परीक्षा पास करने पर एक मुश्त राशि
प्रबोध रूपये 1600, प्रवीण रूपये 1500, प्राज्ञ 2400
वैयक्तिक वेतन :
केन्द्र सरकार के अधिकारियों /कर्मचारियों को हिन्दी भाषा की प्रबोध /प्रवीण /प्राज्ञ परीक्षा में से जो भी परीक्षा सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी के लिये अन्तिम परीक्षा निर्धारित की गई हैं उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर 12 महीने की अवधि के लिये एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

vii हिन्दी शब्द संसाधन /टंकण परीक्षा पास करने पर नकद पुरस्कार योजना :
अ. 97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करनें पर रूपये 2400
ब. 95% या इससे अधिक परन्तु 97% से कम अंक प्राप्त करने पर रूपये 1600
स. 90% या इससे अधिक परन्तु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर रूपये 800
हिन्दी शब्द संसाधन /टंकण परीक्षा पास करने पर वित्तीय प्रोत्साहन योजनाः–
इस प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिये एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।

(5) राजभाषा शील्ड /ट्राफी योजनाओं का विवरण :

i. रेल मंत्री राजभाषा शील्ड एवं नकद पुरस्कार
हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले आदर्श स्टेशन /कार्यालय /कारखाना के लिये राजभाषा शील्ड एवं पुरस्कार रूपये 7000/– नकद दिये जाते हैं

ii. कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक :
हिन्दी का प्रयोग – प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिये रेलों /उत्पादन कारखानों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के ऊपर के अधिकारियों के लिये – एक पुरस्कार

iii. रेल मंत्री राजभाष पदक :
हिन्दी के प्रयोग – प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिये रेलों /उत्पादन कारखानों के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों के लिये – 10 पुरस्कार

iv. महाप्रबन्धक राजभाषा शील्ड :
हिन्दी के प्रयोग प्रसार में प्रशंसनीय योगदान के लिये मुख्यालय /मण्डल /कारखाना के लिये महाप्रबन्धक राजभाषा शील्ड प्रदान की जाती है।

राजभाषा सम्बन्धी विभिन्न समितियाँ (Various Committees on Official Language) :

1. केन्द्रीय हिन्दी समिति : अध्यक्ष – प्रधानमंत्री

यह समिति राजभाषा नीति के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा – निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति हैं। इनमें प्रधानमंत्री के अलावा कुछ प्रमुख केन्द्रीय मंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, संसद सदस्य तथा हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विशिष्ट विद्वान सदस्य होते हैं। राजभाषा विभाग के सचिव एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार इस समिति का सदस्य सचिव हैं। सवंधिान, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 में किये गये उपबन्धों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों /अनुदेशों की पृष्ठ भूमि में हिन्दी के प्रचार–प्रसार तथा सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों और किये गये कार्यों का समन्वय करती हैं।

2. संसदीय राजभाषा समिति : अध्यक्ष – गृहमंत्री

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत यह समिति गठित की गई हैं। इसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जिनका चुनाव एकल संक्रमणी तरीके से किया जाता हैं। इस समिति में 10–10 सदस्यों वाली 03 उपसमितियाँ बनाई गई हैं। प्रत्येक उप समिति का एक समन्वयक होता हैं। यह समिति के अधीन आने वाली सरकार द्वारा वित्त घोषित सभी संस्थानों का समय–समय पर निरीक्षण करती है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाते हैं और राज्य सरकारों को भिजवाते हैं। राजभाषा के क्षैत्र में यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति हैं।

3. हिन्दी सलाहकार समितियाँ (Hindi Advsary Committees) :

जनता से सम्पर्क रखने के लिये सम्बन्धित मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया हैं। ये समितियाँ अपने–अपने मंत्रालयों, विभागों उपक्रमों में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करती है। विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये ठोस कदम उठाती हैं। नियमानुसार इनकी बैठकें तीन महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिये।

4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ (Town Official Language Implementation Committees) :

बड़े–बड़े नगरों में जहाँ केन्द्रीय सरकार के 10 या उससे अधिक कार्यालय हैं वहाँ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ को गठन किया गया है। इनकी अध्यक्षता नगर के वरिष्ठतम अधिकारी करते है। इन समितियों की बैठकों में स्थित सभी केन्द्रीय कार्यालय तथा उपक्रमों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अपने–अपने कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिये सुझाव देते हैं। नियमानुसार इन समितियों की बैठकें वर्ष में दो बार अवश्य होनी चाहिये।

5. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (Central Official Language Implementation Committees) :

यह समिति राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के उपलब्धों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी के अधिकारिक प्रयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण और उपर्युक्त के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये अनुदेशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करती है और उनके अनुपालन में पाई गई कमियों और कठिनाईयों को दूर करने के लिये उपायों के बारे में विचार करती है। राजभाषा विभाग के सचिव इस समिति के अध्यक्ष व विभिन्न समितियों के सदस्य होते हैं।

6. राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ (Official Language Implementation Committees):
हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिये मंत्रालय /विभाग एक–एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई गई है। इनकी अध्यक्षता साधारणतया संयुक्त सचिव, विभाग प्रमुख्य तथा कहीं–कहीं पर अपर सचिव स्तर के अधिकारी करते हैं। सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति बनाई गई हैं। इनकी बैठकें हर तिमाही में एक बार बुलाई जानी अपेक्षित हैं। समिति की बैठकों में राजभाषा अधिनियम 1963 और उनके अन्तर्गत बने राजभाषा नियम 1976 तथा अन्य आदेशों के अनुसार हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की जाती हे और कमियों को दूर करने के उपाय किये जाते हैं। इन समितियों में सम्बन्धित विभाग का कार्यालय के ही अधिकारी होते हैं जो वहाँ होने वाले कार्यों और वहाँ की कठिनाईयों आदि से परिचित हाते हैं और उनका हल अच्छी तरह सोच सकते हैं।

राष्ट्रपति का आदेश – 1952

राष्ट्रपति जी ने अपने 27 मई 1952 के आदेश द्वारा राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधिशों की नियुक्ति के अधिपन्नों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत किया है।

राष्ट्रपति का आदेश – 1955

राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया कि संघ के निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का प्रयोग किया जायेगाः–

1. जनता के साथ पत्र व्यवहार।
2. प्रशासनिक रिपोर्ट, राजकीय पत्रिकायें और संसद को दी जाने वाली रिपोर्ट।
3. सरकारी संकल्प, गैर विधायी अधिनियम।
4. संविदा एवं करार।
5. जिन राज्य सरकारों ने अपनी राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपना लिया है उनसे पत्र व्यवहार।
6. अन्य देशों का सरकारी और दूतों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय।
7. प्रतिनिधियों के नाम जारी किये जाने वाले औपचारिक दस्तावेज।
8. राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 को हुई।

राष्ट्रपति का आदेश – 1960

1. विज्ञान और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिये एक स्थायी आयोग की स्थापना।
2. अनुवाद में एकरूपता लाने के लिये एक अधिकरण की स्थापना।
3. विधि शब्दावली तैयार करने के लिये एक स्थायी आयोग की स्थापना।
4. हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
5. हिन्दी के प्रचार के लिये, गैर सरकारी संस्थाओं के लिये वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता।
6. हिन्दी भाषी क्षेत्रों के केंद्रीय सरकारी विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने अतिरिक्त कामकाज में हिन्दी प्रयोग करें।
7. शिक्षा सम्बन्धी कुछ या आयोजनों के लिये माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग शुरू करने के लिये उचित कदम उठाये जायें।
8. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग।
9. वैज्ञानित, औद्योगिक और सांख्यकीय प्रयोजनों में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग।
10.हिन्दी के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के लिये योजना।